

श्री जेनाराम

बनाम श्री चन्ना व शिव

मु0न0 79 सन 2011

किस्म मुकदमा



तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम कीतामील में जारी हुए
11-6-18	<p>पत्रावली आज राजस्व लोक डायनर कैम्प देवाता में पेश हुई प्रकरण अर्थात् निषेधाज्ञा की वदस में निम्न है तहसीलदार द्वारा उपस्थित। मजूम भास में पत्रावली का इकजोकन किया गया। बाद इकजोकन मामला प्रथम दुष्ट या गुणगीण के पक्ष में बनना पाया जाता है तथा स्पष्टियत का सूतुत्तन भी गुणगीण के पक्ष में बनना पाया जाता है। चूंकि मूल वद सं. 89/11 अभी क्वारापीन है एवं न्याय की मंशा के मध्यनजर इकर सूच वद सं. 89/2011 के अंतिक निस्कारण तक अमपक्षान गुणगी एवं अणुपक्षी सं. 1 से 18 को जरिए अरक्षण निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है वे गाम बाडिया नगा पटवार क्षेत्र देवाता की वदकस्त द्वारा जी की मौके एवं रेकॉर्ड की यथास्थिति बनाए रखेंगे। खर्ची पसकारान अपना अपना वहन करें। अदेश सुनाया गया। सिस्त कैसप हुमर डेकर नम्बर से काम हो।</p>	

उपखण्ड अधि. एवं सहायक कलक्टर ब्यावर